6 माह और रहेगी चीनी की स्टॉक सीमा

चीनी की कीमत को स्थिर बनाए रखने के लिए सरकार कर रही उपाय

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।

चीनी की जमाखोरी व खुदरा कीमत को काबू में रखने के उद्देश्य से सरकार ने अगले छह महीनों तक चीनी की स्टॉक सीमा को जारी रखने का फैसला किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने इस फैसले पर मुहर लगा दी।

पिछले साल 27 अक्तूबर को केंद्र सरकार ने कारोबारियों के लिए चीनी रखने की तय सीमा को जारी रखने के संबंध में आदेश जारी किया था, जिसकी अवधि 28 अप्रैल को समाप्त हो रही थी। आगामी 29 अप्रैल से इस साल 28 अक्तूबर तक चीनी स्टॉक करने की सीमा के संबंध में सरकारी फैसला मान्य होगा। पश्चिम बंगाल को छोड़ अन्य राज्यों में 30 दिनों के लिए 500 टन से ज्यादा चीनी रखने की इजाजत नहीं है। पश्चिम बंगाल में 30 दिनों के लिए 1,000 टन स्टॉक रखने की अनुमति है। केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार को स्टॉक सीमा तय करने में मदद मिलेगी और इस वजह से आम लोगों के लिए सस्ती दरों पर बाजार में चीनी की उपलब्धता बनी रहेगी। चीनी से संबंधित मुनाफाखोरी भी इस फैसले से हतोत्साहित होगी। चीनी मिलर्स के मुताबिक, इस साल देश में 203 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान है, जबकि देश में सालाना स्तर पर 240-245 लाख टन चीनी की खपत है। पिछले चीनी सीजन के 77 लाख टन चीनी के स्टॉक की मदद से चालू चीनी सीजन में देश में 280 लाख टन चीनी की उपलब्धता होगी। हालांकि सरकार की तरफ से अप्रैल अंत तक चीनी के उत्पादन का अनुमान जारी किया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चीनी मिलें कार्य कर रही हैं।

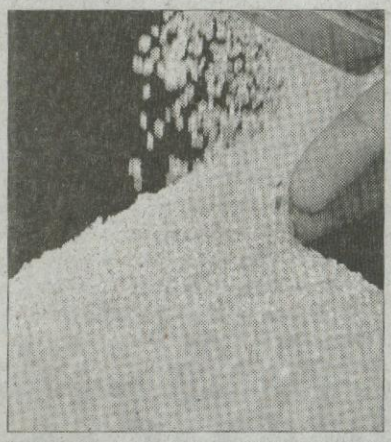

डेढ़-दो माह से खुदरा दाम स्थिर

सरकार ने हाल ही में कच्ची चीनी के भी आयात का फैसला किया है। मिलर्स आगामी 30 जून तक कच्ची चीनी का आयात कर सकते हैं। सरकार के इन प्रयासों की वजह से पिछले डेढ़-दो महीनों से चीनी के खुदरा दाम स्थिर बताए जा रहे हैं।

कमी का भ्रम पैदा न हो, इसलिए उठाए हैं कदम

खाद्य व उपभोक्ता मामले मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल सितंबर में चीनी की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी हो गई। सरकार ने पाया कि वास्तविक स्तर पर चीनी की कमी नहीं थी। इस साल चीनी का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम है, इसलिए सरकार को इस बात की आशंका है कि कहीं मुनाफाखोर इस बात का फायदा उठाते हुए बाजार में चीनी की कमी की भ्रांति फैला सकते हैं। मंत्रालय के मुताबिक, इस भ्रांति से बचने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं।

Amar Ujala
20-4-17